न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 62/2018 प्रार्थना पत्र

अनवान

1—लादू लाल पिता आसुराम कुम्हार निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

2—लक्ष्मीलाल पिता आसुराम कुम्हार निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज

प्रार्थीगण

बनाम

1—मनरूप पिता हुक्मा गुर्जर निवासी भैरूखेडा भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

2—भैरू पिता रामा गुर्जर निवासी भैरूखेडा भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

3—अमरा पिता हजारी गुर्जर निवासी भैरूखेडा भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

4—रेमता पिता सुडा गुर्जर निवासी भैरूखेडा भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

5—मीयाराम पिता चतुरभुज गुर्जर निवासी भैरूखेडा भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

6—भैरू पिता आसु गुर्जर निवासी भैरूखेडा भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

7—शंकरलाल पिता रंगलाल मुडोत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

8—अर्जन पिता जेठू सुथार निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 23.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट बागोलिया मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम भीटा पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो कि कृषि आराजियात खाता संख्या 323 में अंकित आराजी संख्या 116 रकबा 0.29 है0, आ.सं. 117 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 118 रकबा 0. 21 है0, आराजी संख्या 119 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 120 रकबा 1.44 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.63 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारों ओर सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में विपक्षीगण आए दिन दखलंदाजी करते रहते हैं जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में फसल काश्त कर फसल का लाभ लेने, मवेशी चाराने वे घास काटने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा परंतु विपक्षीगण आए दिन आजकल में कराने की

बात कह कर हर बार टालमबाजी का जवाब देते आ रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा अंतिम बार दिनांक 30.05.2018 को विपक्षीगण को उनकी आराजियात की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा परंतु विपक्षीगण इन्कार हो गये हैं जिससे प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा हैं। प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 30.05.2018 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 13.06.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या एक से आठ बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम भीटा पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो कि कृषि आराजियात खाता संख्या 323 में अंकित आराजी संख्या 116 रकबा 0.29 है0, आ.सं. 117 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 118 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 119 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 120 रकबा 1.44 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.63 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/– अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1300/– अक्षरे एक हजार तीन सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा